मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
ज्ञा०सं०-01/न्या-521/2005 - 3275
दिनांक - 17/12/05

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव

सभी विभागीय सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

विषय :— माननीय उच्च न्यायालय में प्रति शपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय में राज्य के विरूद्ध दायर भिन्न–भिन्न वादों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता होती हैं। उच्च न्यायालय में दायर किए जाने वाले प्रति शपथ पत्रों/कारण पृच्छाओं को बनाने में अपेक्षित सावधानी बरता जाना आवश्यक होता हैं। तथापि ऐसे मामले प्रकाश में आये है जिनमें प्रशासी विभागों के द्वारा दायर किये गये प्रति शपथ पत्र/कारण पृच्छा में अधूरे, त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट तथ्यों का उल्लेख हो गया हैं। ऐसा होने से माननीय उच्च न्यायालय में सरकार की स्थिति अशोभनीय हो जाती है तथा उन्हें अपने पक्ष का बचाव करना भी मुश्किल हो जाता है।

अतः अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रति शपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर करने के पूर्व उनमें अंकित तथ्यों एवं आकड़ो की सम्यक जांच कर ली जाय, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें त्रुटिपूर्ण/गलत तथ्यों का समावेश न हो पाये। प्रति शपथ पत्र/कारण पृच्छा तैयार किये जाने के पूर्व संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष/सचिव आश्वस्त हो लें कि प्रति शपथ पत्र/कारण पृच्छा में तथ्य सही रूप से समाविष्ट त्रुटिपूर्ण/गलत तथ्यों का उल्लेख होने की स्थिति में संबंधित विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।

कृपया इस विन्दु का गंभीरता से निष्पादन किया जाय।

विश्वासभाजन,

16/12

मुख्य सचिव, बिहार।